

## स्व घोषणा-पत्र (ऑनलाईन सेवा हेतु)

समस्त  
आवेदकों की  
फोटो  
चिपकाकर  
स्व-प्रमाणित  
करे

<b>चाही गई सेवा</b>	<input type="checkbox"/> लीजडीड (पट्टा) <input type="checkbox"/> लीजहोल्ड लीजडीड (पट्टा) के एवज में पट्टा विलेख (फ्री-होल्ड) जारी करने हेतु <input type="checkbox"/> नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन <input type="checkbox"/> लीज मुक्ति प्रमाण पत्र <input type="checkbox"/> उपविभाजन/पुर्नगठन
---------------------	--

मैं/हम.....  
 पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .....  
 उम्र .....वर्ष, जाति, .....  
 पता .....

घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि जयपुर विकास प्राधिकरण में चाही गई उपरोक्त चिन्हित की गई सेवा के आवेदन में दर्ज की गई समस्त जानकारी व आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त अपलोड किये गये दस्तावेज मेरी निजी जानकारी और विश्वास में सही है एवं कोई भी अपलोडेड दस्तावेज कूट रचित नहीं है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है एवं कांट छांट नहीं की गई है। मुझे इस बात का ज्ञान है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी व आवेदन पत्र के साथ समस्त अपलोडेड दस्तावेज भविष्य में झूठे/असत्य पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी एवं मुझे इसके लिये विधि अनुसार दण्ड का सामना करना पड़ेगा तथा जो भी लाभ मेरे द्वारा प्राप्त किये गये है व जो कार्यवाही मेरे पक्ष में हुयी है। उन्हें जविप्रा पूर्ण रूप से वापिस लेने व निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

मैं. शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उक्त आवेदन हेतु अपलोडेड दस्तावेजो के अनुसार वर्णित जविप्रा/निजी खातेदारी /गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम.....  
 .....की योजना.....

.....के भूखण्ड संख्या.....का मैं मूल आवंटी/हस्तांतरी, कब्जाधारी एवं स्वामी हूँ। इस भूमि को राज्य सरकार /जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिए नियमन किये जाने के विरुद्ध किसी भी स्तर के न्यायलय में किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश वर्तमान मे प्रभावशील नहीं है एवं उक्त भूखण्ड संख्या..... के संबंध मे स्वामित्व का किसी भी सक्षम न्यायलय व अन्य किसी भी जगह कोई वाद विवाद विचारधीन नहीं है। भविष्य मे यदि स्वामित्व संबंधी वाद उत्पन्न होगा तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेज झूठे पाये जाने पर ज.वि.प्रा. को उपरोक्त सेवा की कार्यवाही को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं की गयी कार्यवाही स्वतः निरस्त मानी जावेगी एवं मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) की संबंधित एवं लागू धाराओ के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

मौके पर उक्त भूखण्ड की स्थिति  निर्माण  रिक्त

मौके पर उक्त भूखण्ड का  आवासीय उपयोग  गैर आवासीय उपयोग  
उपयोग

वसीयत के आधार पर किया गया उक्त नाम हस्तान्तरण मे प्रयुक्त वसीयत अन्तिम है एवं निर्विवादित है या हकत्याग या, विरासत या वसीयत के आधार पर होने वाले नाम हस्तान्तरण मे सक्षम निकाय/अधिकारी द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

मैं शपथकर्ता .....ईश्वर को साक्षी करके शपथ व निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि कोई भी तथ्य या महत्वपूर्ण बात छिपाई नहीं गई और नहीं तथ्य व रिकार्ड के विपरीत कोई बात कही गयी है। अतः ईश्वर सत्य बोलने में मेरी सहायता करें।

(हस्ताक्षर शपथ गृहिता/गृहिती)

नाम.....

पता.....

आवेदक का मोबाईल नं. ....

दिनांक:

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता/शपथग्रहिती सत्यापित करता /करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में दर्ज सभी सूचना मेरे निजी ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही व सत्य है । इसमे कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें ।

(हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता)

नाम.....

पता.....

दिनांक: